



RKDF UNIVERSITY

(ESTABLISHED UNDER GOVT. OF M.P. AND REGISTERED UNDER UGC 2(F) 1956)

No. 1616 /RKDF/ 21

नोटिस

Dated : 18 / 11 / 2021

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 908/227/सी.सी./2021/अडतीस, भोपाल दिनांक 18/11/2021 के परिपालन में एवं गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षण विभाग/घटक इकाई में शिक्षण एवं संबंधित कार्य विद्यार्थियों की 100% भौतिक उपस्थिति के साथ प्रारंभ की जाती है। परीक्षा पुस्तकालय, छात्रावास एवं मेस व्यवस्था क्षमता अनुसार संचालित की जा सकेंगी। समस्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष संस्था से संबंधित समस्त शिक्षकों/अधिकारी/कर्मचारी एवं विद्यार्थियों को कोविड वेक्सीन की दोनो डोज लगी हैं सुनिश्चित करेंगे एवं जिन्हें नहीं लगी है, उन्हें लगवाने की व्यवस्था संबंधित अधिकारी के द्वारा कराई जावेगी। जो विद्यार्थी 18 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें वेक्सीनेशन ना होने की स्थिति में भी विश्वविद्यालय आने की अनुमति होगी। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग/सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन पूर्ववत जारी रहेगा।

प्रतिलिपि:

1. मा.कुलपति महोदय, आर.के.डी.एफ.विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2. डायरेक्टर मेनेजमेंट/डायरेक्टर जनरल रिसर्च/परीक्षा नियंत्रक/अधिष्ठता छात्र कल्याण/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी आर.के.डी.एफ.विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
3. समस्त डायरेक्टर/संकायध्यक्ष/प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, संकाय/घटक इकाई/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, आर.के.डी.एफ.विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) (आवश्यक कार्यवाही हेतु)
4. छात्रावास अधीक्षक/मेस इंजार्ज आर.के.डी.एफ.विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
5. कार्यालय नस्थी


कुलसचिव
Registrar
RKDF University